

(29)

TEN RUPEES

TEN RUPEES

न्यायालय : माजनीय सचिव मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)
प्रकरण का १३५-२०१० / २०१० पुनरीक्षण

पुनरीक्षणकर्ता:-

रामतौर पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ब्राह्मण
ग्राम सिरमोर का पुरा, तहसील अम्बा
जिला मुरैना (म0प्र0)

विरुद्ध

रेस्पोन्डेन्ट्स :-

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रामचरण
2. राजवीर पुत्र श्री रामचरण
3. निवासीगंधेर ग्राम सिरमोर का
तहसील अम्बा हजारीबाजार जिला मुरैना (म0प्र0)
4. राम सिंह पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ब्राह्मण

— मृत

द्वारा वारिसान

- अ. सुरेश, आयु— 40 वर्ष
- ब. राजेन्द्र, आयु— 35 वर्ष
- स. देवेन्द्र, आयु— 28 वर्ष
- पुत्रगण स्व0 रामसिंह, निवासीगण— उ
- सिरमोर का पुरा तहसील अम्बा हजारीबाजार जिला मुरैना (म0प्र0)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 19
विरुद्ध आदेश दिनांक 29.10.09 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे अपर आयुक्त, चंबल संभाग, जिला मुरैना, जिस द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पारित अपील प्रकरण 115/07-08 अपील को निरस्त करते हुये अनुविभाग अधिकारी, अम्बा हजारीबाजार जिला मुरैना एवं तहसीलदार अम्बा हजारीबाजार जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश को पुष्ट कर दिया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

(१७)

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 135—तीन/10

जिला—मुरैना


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

03-04-14

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 08-04-2010 से लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03-04-2014 तक नियत होता रहा किन्तु 08-04-10 से 03-04-14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंक्झार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे। वहीं सुनवाई दिनांक 03-04-2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रुचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2010 से लंबित चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रुचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


प्रशासकीय सदस्य